Scanned with ACE Scanner

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अस्कोट (पिथौरागढ़)।
E-mail- eepwdaskote@gmail.com

573/ 13सी0

दिनांक 13.05 –2022

प्रभागीय वनाधिकारी
वन प्रभाग, पिथौरागढ़।

विषयः– जनपद पिथौरागढ़ विधानसभा क्षेत्र डीडीहाट में बन्दरलीमा –हड़खोला मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.99 है0 वनभूमि का गैरवानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन (FP/UK/ROAD/16041/2015)

संदर्भः– भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून का पत्रांक 8वी /यू0सी0पी0/06/1991 /2019 /एफ0सी0/1409 दिनांक 30.09.2020 (प्रति संलग्न)

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्तो की अनुपालन आख्या बिन्दुवार निम्नवत हैः–

शर्तें	अनुपालन आख्या
वनभूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जायेगी।	विधिक परिस्थति नहीं बदली जायेगी।
परियोजना के लिए आवश्यक गैर वनभूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौपें जाने के बाद ही वनभूमि सौपी जायेगी।	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वनभूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौपे जाने के बाद ही वनभूमि सौपी जायेगी।
प्रतिपूरक वनीकरणः– (क) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा 1980 पौधो का रोपण कार्य किया जायेगा एवं दस वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि @CA rate for 1.98 ha area (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) जमा की जायेगी। जहां तक व्यवहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचें राज्य सरकार पौधारोपण योजना क्षेत्र का नाम एवं Coordinates अंकित करें हुए इसा कार्यालय में प्रस्तुत करेगी।	प्रस्तावित स्थल के आस–पास क्षतिपूरक वनीकरण की धनराशि जमा कर दी गई है। (छाया प्रति संलग्न)
प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर यदि आवश्यक हो तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वनविभाग के पास जमा की जायेगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षो तक अनुरक्षित किया जायेगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यो के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते है।	प्रतिपूरक वनीकरण की आवश्यकता नहीं है।
शुद्ध वर्तमान मूल्यः– (क) इस संबंध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्या 202/1995 में IA नम्बर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5–1/1998–एफ0सी0 (Pt-2) दिनांक 13.09.2003, 5–2/2006 –एफ0सी0 दिनांक 03.10.2006 एवं 5–3/2007 –एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 0.99 है0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।	एन0पी0वी0 की धनराशि जमा कर दी गई है। (छाया प्रति संलग्न)

	(ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वनभूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अन्तिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जायेगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथपत्र प्रस्तुत करेंगा।	एन0पी0वी0 की दर में बढोतरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। (प्रमाण पत्र संलग्न)
6	प्रयोक्ता अभिकरण के प्रत्यावर्तित वनभूमि में पेड़ो की कटाई को न्यूनतम कर देगा जिसकी संख्या प्रस्ताव मे अनुसार 55 फिट से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के संयत पर्यावरण में कटेगें । प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ो की कटाई की लागत जमा की जायेगी।	धनराशि जमा की जा चुकी है।
7	State Govt. will inform this office if they pass any order for tree cutting and commencement of work before stage-II approval as per guidelines 11.2. the State Govt. will monitor and ensure that no further activity is carried out under such permission after the expiry of one year from the date of issue of such permission	अनुपालन किया गया है।
8	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल इ।–पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोप प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड मे स्थानान्रित /जमा किए जाएगें।	संलग्न
9	एफ0आर0ए0 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलैक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जायेगा।	वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेख /प्रमाण पत्र संलग्न कर किये गये है। (छाया प्रति संलग्न)
10	प्रयोक्ता अभिकरण आईआरसी मानदण्डो के अनुसार सड़क के दोनो किनारों एवं उसके बीचो बीच पौधो की संख्या बढ़ायेगा।	आई0आर0सी0 मानदंडो के अनुसार सड़क के दोनो किनारों एवं उसके बीचो–बीच पौधो की संख्या बढ़ाई जायेगी।
11	सुरक्षित क्षेत्रों वन क्षेत्रो में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाए जायेगे।	सड़क के साथ गति विनियत्रण साईनेज लगाये जायेगें।
12	सी0डब्ल्यू0एल0 डब्ल्यू0/एन0वी0डब्ल्यूएल0 /एफ0एसी0 /आरईसी की सिफारिशो के अनुसार उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करेगा।	–
13	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के प्राविधानो के अनुसार यदि लागू हो तो उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करेगा।	नहीं।
14	केन्द्र सरकार की पुर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जायेगा।	नहीं बदला जायेगा।
15	वनभूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जायेगा।	श्रमिक शिविर स्थापित नहीं की जायेगी।
16	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईधन दिया जायेगा।	प्रमाण संलग्न।
17	संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वनभूमि की सीमा को परियोजना लागतपर भूमि पर नामांकन किया जायेगा।	सीमांकन किया जायेगा।
18	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया गया है।	नया मार्ग नहीं बनाया जायेगा।
19	इस अनुमोदन में प्रत्यावर्तन की अवधि का प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में मिली लीज की अवधि के साथ अथवा योजनों की पूर्ण अवधि के साथ जो भी कम हो लक्षित किया जायेगा।	पूर्ण अवधि के साथ लक्षित किया जायेगा।
20	वनभूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जायेगा।	वनभूमि का उपयोग अन्य प्रयोजन हेतु नहीं किया जायेगा।
21	केन्द्र सरकार की पुर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तित हेतु प्रस्तावित वनभूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेसियां विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नही की जायेगी।	वनभूमि किसी एजेन्सी को प्रत्यावर्तित नहीं की जायेगी।

Scanned with ACE Scanner

22	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लघंन वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लघंन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु वन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाईल संख्या 11–42/2017–एफ0सी0 दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही की जायेगी।	वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लघंन नहीं किया गया है।
23	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण से विकास के हित में समय–समय पर आहरित शर्ते लागू होगी।	निर्धारित शर्तो का पालन किया जायेगा।
24	परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवें का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देखरेख में किया जायेगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फैका जायेगा।	मक डिस्पोजल का प्राविधान किया गया है।
25	यदि कोई अन्य संबंधित अधिनियम /अनुच्छेद /नियम /न्यायालय आदेश /अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्त एजेंसी की जिम्मेदारी होगी।	संबंधित अधिनियम का पालन प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा किया जायेगा।
26	अनुपालन रिपोर्ट ई –पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) पर अपलोड की जायेगी।	अनुपालन रिपोर्ट ई–पोर्टल पर अपलोड की गई है।

संलग्न– उपरोक्तानुसार।

(इं0 बी0के0 सिन्हा)
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड़ लो0नि0वि0
अस्कोट(पिथौरागढ़)
17/5

पत्रांक 573 /13सी0 तद्दिनांक
प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय पिथौरागढ़।
2. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन भूमि हस्तान्तरण इन्दिरानगर फारेस्ट कालौनी उत्तराखण्ड देहरादून।
3. वन संरक्षक उत्तरी कुमाऊँ वृत्त अल्मोड़ा।
4. अधीक्षण अभियन्ता तृतीय वृत्त लो0नि0वि0 पिथौरागढ़ ।
5. सहायक अभियन्ता लो0नि0वि0 अस्कोट को प्रेषित।
6. कनिष्ठ अभियन्ता (प्रा0) निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 अस्कोट।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड़ लो0नि0वि0
अस्कोट(पिथौरागढ़)
17/5

Scanned with ACE Scanner